न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
349/2017	29-12-2017	18/02/21

उनवान

. खेमचन्द पुत्र श्री प्रेमराज जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम उधाराका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: वादी

बनाम

. पप्पू पुत्र रामलाल
. फतन पत्नी लखपत
. मुन्नी पत्नी चन्द्रलाल
. सन्तोष पुत्र रामलाल जाति मेघवाल (चमार) निवासीगण ग्राम पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर
. गुरदयाल पुत्र उदयसिंह जाति मेघवाल (चमार) निवासी तॉवडू तहसील तॉवडू जिला नूँह मेवात (हरि0)
. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 256 रकवा 1.59 है0 वाके ग्राम पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। दित आराजी मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त दित आराजी में मिन वादी का 5/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शामलात का अंकन दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के आपसी सहमति से आराजी का मौखिक तौर आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है। मिन वादी, विवादित जी में अपने 5/8 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपने अपने भाग मुताबिक जमाबन्दी हिस्से पर ज व दाखिल है। मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शामलात का अंकन दर्ज रिकार्ड है। अब प्रतिवादी संख्या 1 यत 5 के मन में बेईमानी आ गई और आये रोज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, मिन वादी के कब्जे काश्त दारी की आराजी में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर तंग व परेशान करते है तथा काश्त कारोबार में वट पैदा करते है तथा प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वादी को उसके हिस्से की भूमि पर जबरन बेदखल र उतारू है व नींव खोदकर निर्माण करना चाहते है व बिना बंटवारा कराये विधि विरूद्व तरीके से बेचान र उतारू है। इसलिए मिन वादी का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रिकार्ड की शामलात की भूमि का उपयोग

ोग करना दूभर हो गया है। पक्षकारान के मध्य आज तक लिखित रूप से पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा हुआ है और राजस्व रिकार्ड में संयुक्त का अमल दरामद हो रहा है। मिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई ण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का र प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई प्रतिवादी संख्या 6 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्र कमांकः एल.आर./2021/1181 दिनांक 07.06.2021 को प्रकरण में कुर्रे प्रेषित की। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्न लिखित सारणी अनुसार हाल आराजी खसरा 256 रकबा 1.59 है0 वाके ग्राम पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर को फरीकैन के अनुसार खाता न के आदेश दिये जाते है।

सारणी

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
खेमचन्द पुत्र प्रेमराज हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 उबाराका खातेदार	256/1	0.975
फतन पत्नि लखपत हि0 53/328 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार मुन्नी पत्नि चन्द्रलाल हि0 53/328 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार पप्पू पुत्र रामलाल हि0 53/164 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार बाबूलाल पुत्र रामलाल हि0 5/164 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार कालाराम पुत्र रामलाल हि0 143/492 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार गुरुदयाल पुत्र उदयसिंह हि0 4/123 जाति मेघवाल सा0 तावडू (हरि.) खातेदार	256/2	0.615

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

Ks 12/06/21

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)